न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः–14 / 2019 (223 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः–2019 / 00021

उनवान

रामविलास पुत्र हीरालाल जाति रेगर निवासी बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0।

...अपीलांट।

बनाम

1. बंशीलाल पुत्र विरधा जाति रेगर निवासी ग्राम बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
2. बाबूलाल पुत्र विरधा जाति रेगर निवासी ग्राम बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।
3. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौंली जिला सवाई माधोपुर राज0।
4. श्रीमति कान्ति पत्नि कैलाशचन्द जाति महाजन निवासी ग्राम बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर।

....रेस्पोडेन्टस्।

उपस्थितः–

1. श्री बालकृष्ण उपाध्याय अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री उमाशंकर शर्मा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 04।

––:: निर्णय ::––

दिनांकः 17.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी जिला बौंली में दायर राजस्व वाद संख्या 119 / 2013 बउनवान रामबिलास बनाम बंशीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।
2. प्रकरण मे संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की और से एक दावा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी बौंली के समक्ष इस आशय का पेश किया कि वादीगण की पैतृक आराजी खाता संख्या 399 के खसरा नंबर 1377 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा हैं उक्त आराजीयात के बाद सेटलमेंट खाता नंबर 330 में खसरा नंबर 2038 रकबा 0.22

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

है0, 2039 रकबा 0.01 ऐयर, 2040 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 2060 रकबा 12 ऐयर कुल किता 4 कुल रकबा 0.67 है0 भूमि बनाई गई। सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने प्रतिवादी संख्या 01 से मिलीभगत करके वादीगण का खसरा नंबर 1377 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा भूमि के नये नंबर बनाकर रकबा पूरा कर दिया जबकि वादीगण की आराजी खसरा नंबर 2037 रकबा 0.06 है0, व 2062 रकबा 0.07 है0 की खातेदरी मिलने के बाद हीं उक्त आराजीयात खसरा नंबर 1377 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा का रकबा पूर्ण होता हैं। हाल खसरा नंबर 2037 रकबा 0.06 है0, व 2062 रकबा 0.07 है0, साबिक खसरा नंबर 1377 से बना है तथा वर्तमान मे यह प्रतिवादी संख्या 01 के नाम दर्ज रिकार्ड है, अतः अनुतोष चाहा गया कि खसरा नंबर 2037 रकबा 0.06 है0, व 2062 रकबा 0.07 है0 का प्रतिवादी संख्या 01 का नाम खातेदारी से कलमजन कर वादीगण को खातेदार घोषित किया जावें। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा जवाब मे कथन किया कि उक्त दोनो खसरा नंबरों की खातेदारी कब्जा अनुसार जांच पडताल कर मौका अनुरूप राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट मे सही अंकित की है। मातहत अदालत ने दिनांक 15.10.2015 को निर्णय व डिक्री जारी करते हुए आदेश पारित किया कि " ग्राम बौंली की आराजी खसरा नंबर 2037 रकबा 6 ऐयर, 2062 रकबा 7 ऐयर का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। अतः उक्त आराजी का प्रतिवादी की खातेदारी से हजफ कर वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावें।" उक्त आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गई है।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट ग्राम बौंली का रहने वाला आराजी खसरा नंबर 2037 रकबा 0.06 है0 व खसरा नंबर 2062 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.13 है0 का खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजीयात पहले अपीलांट के पिता के नाम थी तथा पिता की मृत्यु बाद अपीलांट के नाम दर्ज की गयी जिससे वादी रेस्पो0 संख्या 01 व 02 का किसी प्रकार का कोई संबंध कभी नही रहा है। दिनांक 15.07.2015 को लोक अदालत शिविर का है जहां राज्य सरकार द्वारा पक्षकारान को आपस में समझा कर लोक अदालत की भावना से राजीनामा द्वारा फेसला कराने का निर्देश दिया गया था परन्तु मनमाने तरीके से पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करना बताते हुए, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की सहमति के, बिना अपीलांट की जानकारी के बिना तनकीयात कायम किये या पक्षकारान की साक्ष्य लिये मनमाने तरीके से अपीलांटगण के विरूद्ध निर्णय किया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें, मातहत अदालत द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावें।

अपील के साथ ही धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उक्त आलौच्य निर्णय की जानकारी दिनांक 20.02.19

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

को कुछ लोगो द्वारा विवादित आराजीयात खसरा नंबर 2037 रकबा 0.07 है0 पर मकान निर्माण कराने का प्रयास करने पर उनको रोकने पर हुई इस कारण जानकारी होते ही तत्काल निर्णय एवं डिकी की नकल प्राप्त कर अपील न्यायालय हाजा मे पेश की गई है। उक्त देरी जानबूझकर नही की गई अतः अपील को पेश करने मे हुई देरी को कण्डोन फरमाते हुए अपील मियाद अन्दर पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।
6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि यह कि अपील में देरी के लिय क्ंल जव क्ंल स्पष्ट करना होता है यह निर्णय दिनांक 15.07.2015 को हुआ है तथा उसके पश्चात् 3 वर्ष तक वह न्यायालय मे जाकर अपनी तारीख पेशी की जानकारी नही करे। ना ही उसके वकील से सम्पर्क करे विश्वास योग्य नहीं है इससे यही कयास लगाया जायेगा कि उसे निर्णय की जानकारी भी इससे पूर्व उसे प्रत्येक तारीख की जानकारी है अपीलाट को दिनांक 15.07.2015 के बाद तारीख की जानकारी नही करना विश्वास योग्य नही है तथा अपील में दिया गया कारण देरी माफ करने हेतु सद्भावी कारण नही है। अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।
7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।
8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि लोक अदालत मे पारित निर्णय उभयपक्षकारान की आपसी सहमति से उभयपक्षों की उपस्थिति मे किए जाते है, जबकि मातहत अदालत ने मनमाने तरीके से पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब करना बताते हुए, अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलांट की सहमति के, बिना अपीलांट की जानकारी के बिना तनकीयात कायम किये

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

या पक्षकारान की साक्ष्य लिये मनमाने तरीके से हमारे विरूद्ध निर्णय किया है। अपीलांटगण को लोक अदालत मे पत्रावली की पेशी बाबत् कोई सम्मन जारी नही किए गए, ना ही अपीलांटगण की उपस्थिति पत्रावली मे अंकित है, इस प्रकार से पारित निर्णय विधि विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें, मातहत अदालत का निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2015 को निरस्त फरमाया जावें।

9. जवाब बहस मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन अंकित किया कि सेटलमेन्ट की गलती से पुराने नक्शे व नये नक्शों में अन्तर होने पर तथा नये नक्शों को पुराने पर रखने पर 0.12 एयर भूमि कम पाई गई। नक्शा मिलान से तथा उक्त भूमि 2037 रकबा 6 एयर व 2062 रकबा 7 एयर को शामिल करने पर रेस्पोडेन्ट की भूमि 67 एयर होती है तथा उसके पास 0.55 एयर ही भूमि पाई गई। अतः उक्त लिपिकीय गलती को कानूनी दुरस्त किया जाना था। यही अदालत मातहम ने किया है जिसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नही है तथा अपील खारिज योग्य है।
दिनांक 11.10.2018 को बाबूलाल रेस्पोडेन्ट ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र भूखण्ड का विक्रय किया गया था तथा उसने उस पर निर्माण कर रखा है, उक्त अपील से बेदखल नहीं किया जा सकता है। उसके लिये अपीलांट को बेदखली का वाद करना होगा। रजिस्टर्ड विकय पत्र जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नही होता है जब तक बिना रजिस्टर्ड विकय पत्र निरस्त हुये विवादित भूमि के बाबत निर्णय सभव नही है रूपान्तरण आदेश अपील में प्रस्तुत है तथा रजिस्ट्री में भी दर्ज है।
डिग्री व आदेश की पालना राजस्व रिकोर्ड में नामान्तकरण संख्या 576 दिनांक 14.03.2016 का हो चुका है तथा राजस्व रिकोर्ड से ख0न0 2037 रकबा 0.06 है0 में से नया ख0न0 2031/1 रकबा 0.01 है० गै०मु० रास्ता में दर्ज होकर राज्य सरकार में निहित हो चुका है तथा भूमि सार्वजनिक होकर राज्य सरकार की हो चुकी है राज्य सरकार अपील में पक्षकार नही है तथा बिना राज्य सरकार को पक्षकार बनाये अपील खारिज योग्य है।

10. उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावलियों में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

11. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी संवत् 2068–2071 वाके ग्राम बौंली तहसील बौंली जिला सवाई माधोपुर के अनुसार खसरा नंबर 2038 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 2039 रकबा 0.0100 है0, खसरा नंबर 2040 रकबा 0.32 है0, खसरा नंबर 2060 रकबा 0.12 है0 बंशीलाल, बाबूलाल पिसरान बिरधा गेन्दी बेवा बिरधा सीता गीता मथूरा पुत्रीयान बिरधा जाति रेगर सा0 देह दर्ज रिकार्ड है। जो कुल रकबा 0.67 है0 है। जबकि खसरा नंबर 2037 रकबा 0.0600 है0,

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

व खसरा नंबर 2062 रकबा 0.070 है0 रामबिलास पुत्र हीरा रेगर के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है।

प्रथमः– वाद मे मुख्य विवाद खातेदारी अधिकारों की घोषणा का न होकर वादी/रेस्पो0 के विवादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 2038, 2039, 2040, 2060 का कुल रकबा जो 0.67 है0 होता है, मौके पर 0.12 है0 कम होने के कारण राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने का है।

बाद मे भूमि के ट्रेस शीट मे संशोधन का अनुतोष चाहा जो धारा 88 के क्षेत्राधिकार मे नही है। इस सिद्वान्त के प्रतिपादन दृष्टांत **आर0आर0डी 2016 पेज 102** मे किया गया है। इस कारण न्यायालय हाजा का श्रवणाधिकार नही है। इस कारण स्वीकार योग्य नही है।

12. उपर्युक्त विवेचना के अपील अपीलांट आधार पर श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार मे नही होने के कारण बिना गुणावगुण के विवेचन करे ही क्षेत्राधिकार के बिंदु पर खारिज की जाती है। अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी बौंली के मुकदमा नंबर 119/2013 बउनवान रामबिलास बनाम बंशीलाल वगैरह में पारित निर्णय दिनांक 15.07.2015 को यथावत रखा जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

13. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 17.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना) 17.7.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner